3

4

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 358–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 18–11–2014 पारित आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 121/12–13 अपील.

चन्द्रा बेवा पत्नी अन्तू आदिवासी
निवासी ग्राम कांकर, तह0 व जिला
शिवपुरी, म0प्र0

--- आवेदक

विरूध्द

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर
शिवपुरी, म0प्र0

-- अनावेदका

श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक – आवेदक
श्री डी0 के0 शुक्ला, पैनल अभिभाषक– अनाववदेक

आदेश

(आज दिनांक 1-5- 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 121/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–11–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका चन्द्रा ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम करई एहमदपुर स्थित भूमि सर्वे0 नं0 67 रकबा 0.56 हे. के विकय की अनुमति हेतु आवेदनपत्र कलेक्टर जिला शिवुपरी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 19–9–12 व्दारा खारिज किया। इस आदेश के विरूध्द आयुक्त, ग्वालियर संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 18–11–13 व्दारा अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है कि विधिवत जॉच उपरान्त प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाय। इस आदेश के विरूध्द आवेदिका व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदिका के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका व्दारा पंजीयत विकयपत्र व्दारा खरीदी गयी है। इस भूमि के अलावा आवेदिका के सहभूमिस्वामी स्वत्व में ग्राम कांकर में स्थित है। आवेदिका की भूमि उबड़–खावड़ है एवं ग्राम कांकर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, इसलिये आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि का विकय कर ग्राम कांकर में स्थित भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सिंचित करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदिका के आवेदनपत्र पर सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं कर विकय अनुमति प्रदान नहीं करने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि विव्दान आयुक्त ने आवेदिका के आवेदनपत्र पर विधिवत जॉच कर निराकरण करने हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ कलेक्टर के अभिलेख से आवेदिका व्दारा दिनांक 3–9–12 को विकय अनुमति हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करना और कलेक्टर व्दारा इस आवेदनपत्र पर जॉच कर तहसीलदार का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किये बिना ही अपने आदेश दिनांक 19–9–12 व्दारा विकय अनुमति आवेदनपत्र खारिज किया गया है। विव्दान आयुक्त ने अपने आदेश में यही निष्कर्ष निकाला है कि आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जॉच तहसीलदार व्दारा करायी जाकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिये था या पीठासीन अधिकारी उचित समझे तो स्वयं मामले की जॉच कर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिये था। विव्दान आयुक्त व्दारा निकाला गया उक्त निष्कर्ष विधि अनुकूल है और आयुक्त व्दारा प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनाक 18–11–2013 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0